उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली -फतेहगढ़

दि0-17.06.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामरतन उर्फ गुड्डू पुत्र गल्लर निवासी ऊदपुर गिहलवा थाना बदलापुर जनपद जौनपुर के विरुद्ध मु0अ0स0- 170/1998 वाद संख्या 14705/2025 धारा 279/337/338/304ए भादवि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट द्वारा दिनांक 17.06.2026 को अभियुक्त रामरतन उर्फ गुड्डू को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एपीओ - श्री अंकित कुमार

को0 मो0 - म0आ0 आरती शर्मा

पैरोकार - हे0का0 जयचन्द्र

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली - कायमगंज

दि0-17.06.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.श्रीमती विमलेश यादव पत्नी नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव 2.नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव पुत्र रामनरेश निवासीगण अताईपुर जदीद कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद 3.शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला पुत्र शिवदीन प्रकाश शुक्ला 4.रवि उपाध्याय पुत्र अनिल उपाध्याय निवासीगण रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड मु0अ0स0- 126/2018 वाद संख्या 55/2018 धारा 302/394/411 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम / मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 - तृतीय / डकैती कोर्ट द्वारा दिनांक 17.06.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 75000/- 75000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह

एडीजीसी - संजीव पाल

को0 मो0 - का0 अनुज चौधरी

पैरोकार - का0 विवेक कुमार